न्यायालयः उपेन्द्र साह, सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज पूर्वी चम्पारण।

स्वत्व वाद सं0 59/2025

जयकिशोर गुप्ता.....वादी

बनाम

शंभुनाथ गुप्ता वो0.....प्रतिवादीगण

Date of order of proceeding	Order with the signature of the Court	Office action taken with date
06-01-2026		

वाद पुकारा गया। प्रस्तुत वाद वादीगण के द्वारा दिनांक 06.01.2026 को व्य0प्र0सं0 के आदेश 22 नियम 4, 9 एवं दफा 151 के अंतर्गत आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है।

प्रस्तुत वाद में वादी की तरफ से कथित किया गया कि उपरोक्त वाद में मुदालहम सं0 1 शुम्भुनाथ गुप्ता की मृत्यु दिनांक 06.10.2025 को हो गयी है और उनके वारिशान विजय कुमार गुप्ता वो विनोद कुमार वो जौजा रामरति देवी पहले से उपरोक्त वाद से पक्षकार है केवल प्रतिवादी सं0 1 शंभुनाथ गुप्ता का नाम वाद पत्र से कलमजद होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ उपरोक्त वाद की मुदई देहात के गंवार व्यक्ति हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं है जिस वजह से मुदई अपना प्रतिस्थापना आवेदन तय सीमा के अन्दर दाखिल नहीं कर पाये हैं। यह कि मुदई के द्वारा अपना प्रतिस्थापना का आवेदन देने में जानबुझकर विलंब नहीं किया है कानून की जानकारी नहीं होने के कारण प्रतिस्थापना आवेदन देने में देरी हुई। यह कि मुदई द्वारा प्रतिस्थापना का आवेदन दिया जा रहा है तथा अगर मुदई के द्वारा दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन में कोई उपशमन पाया जाता है तो न्यायहित में अपास्त होना जरूरी है अतः न्यायहित में आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

अभिलेख प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु संस्थित है।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। अतः वादीगण का आवेदन व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4, 9 एवं दफा 151 न्यायहित में **स्वीकृत** किया जाता है। न्यायालय कार्यालय को आदेश देती है कि प्रतिवादी सं 01 शंभुनाथ गुप्ता का नाम वाद पत्र से कलमजद कर उनके वारिसानों का नाम आवेदनानुसार प्रतिस्थापित करें। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निस्तारण किया जाता है। वाद दिनांक 25-3-26 वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित व संशोधित

Upendra Sah
06/01/26

(उपेन्द्र साह)

सिविल जज (सिनियर डिविजन), अरेराज

पूर्वी चम्पारण।